न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–I

राजस्व आवेदन सं. 178 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नारायणराम पुत्र बांका, जाति–मेघवाल, नि0 डेल्टा नगर तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर 2. देवीलाल पुत्र बांका 3. अमोलखराम पुत्र बांका 4. रंगाराम पुत्र बांका जाति–मेघवाल, नि0 डेल्टा नगर तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4
3. राज पेरोकार तहसीलदार

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेशः–

दिनांक :– 13/1/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम डेल्टानगर, पटवार मण्डल–गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 720 / 414 रकबा 1.5702 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी उक्त भूमि वक्त सेटलमेंन्ट से मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां व ट्युबवेल एवं पानी के टांके बने हुऐ है। जबकि प्रार्थी के खसरे की लठ्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में तरमीम गलत अंकित हो गयी हैं जिसे दुरस्त करवाने का प्रार्थी विधिक अधिकारी होने से यह आवेदन रेकर्ड दुरस्ती का पेश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा डेल्टा नगर तह0 गडरारोड़ मे अवस्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 720 / 414 रकबा 1.5702 हैक्टेयर भूमि व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खसरा नम्बर 719 / 414, 718 / 414, 717 / 414 रकबा क्रमशः 1.5701, 1.5702, 1.5702 हैक्टेयर के लठ्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा मे की गई तरमीम को निरस्त करते हुए पक्षकरान् के कब्जा काश्त एवं मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे।

आवेदन पंजीयन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नोटिस रजिस्टर डाक से तामिली सुदा प्राप्त हुऐ विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की और वकील श्री भोपालसिह भाटी द्वारा दिनांक 22.04.2025 को **Oder Sheet** में लिख कर निवेदन किया की हम विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की और से जवाब पेश नही करना चाहते है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सहमति दी है। तहसीलदार गडरारोड़ ने ... अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो हमे कोई आपति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार मौजा–डेल्टा नगर, पटवार मण्डल–गडरारोड़ तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 720 / 414, 719 / 414, 718 / 414, 717 / 414 रकबा क्रमशः 1.5702, 1.5701, 1.5702, 1.5702 हैक्टेयर का मौका मुआयना संबंधित खातेदार सेडा पडोसियान तथा रूबरू मौतबरानी के देखा गया। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम को **प्रपत्र अ** में दर्शाया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम को **प्रपत्र ब** में दर्शाया गया है, उक्त सभी खातेदार **प्रपत्र ब** अनुसार ही मौके पर काश्त करते है तथा ट्यूबवेल अपने अपने हिस्से में है। अतः **प्रपत्र ब** अनुसार ही तरमीम शुद्व किया जाना उचित है। उक्त मौका फर्द पढ़कर सुनाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)

जिसे उपस्थित मौतबिरानों ने मौका रिपोर्ट को सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर अंगुस्ठ किये है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ ने भी अपनी मौका रिपोर्ट तरमीम दुरस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। मौका फर्द के संलग्न **परिशिष्ट ब** अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण की भूमि पूर्व में सामलाति खातेदारी भूमि थी और विभाजन के पश्चात् पृथक पृथक खसरा नम्बर कायम किये गये लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने मौका स्थिति का अवलोकन किये बिना गलत तरमीम अंकित कर दी जिससे लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में **परिशिष्ट अ** के अनुसार तरमीम की गई है जबकि वास्तविक लट्ठा ट्रेस अनुसार तरमीम **परिशिष्ट ब** अनुसार ही है। अतः **परिशिष्ट ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 720/414, 719/414, 718/414, 717/414 रकबा क्रमशः 1.5702, 1.5701, 1.5702, 1.5702 हैक्टेयर भूमि मौजा–डेल्टानगर, पटवार मण्डल–गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ की भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान ऑनलाईन नक्शा में की गई तरमीम **परिशिष्ट अ** को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** अनुसार तरमीम लट्ठ नक्शा व ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार तरमीम लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन तरमीम नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़, जिला-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13/11/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ (बाड़मेर)